न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— कन्हैयालाल सोनगरा आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 84 / 2023 दायरा दिनांक 13.07.2023

जीसीएमएस नम्बर 2023 / 84

1 मोहरा देवी पत्नी मंशाराम जाति जाट निवासी राजपुरा पिपेरण तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

2 राजेन्द्रकुमार पुत्र गुडडी देवी व भागीरथ जाति जाट निवासी राजपुरा पिपेरण तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. रणजीत पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी राजपुरा पिपेरण तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. अधिशाषी अभियन्ता घग्घर बाढ़ नियन्त्रण हनुमानगढ़।
3. यूको बैंक शाखा, सूरतगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ़।

— अप्रार्थीगण

उपस्थिति:—

1 श्री शीशपाल शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री राकेश सारस्वत, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र ,14(4) अंतर्गत आवंटन नियम 1970

::—— निर्णय ——:: .दिनांक 18.09.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न है। प्रार्थीयान तहसील सूरतगढ़ के गांव राजपुरा पिपेरण के स्थाई निवासी है तथा प्रार्थीयान का पेशा काश्तकारी है तथा प्रार्थीयान न 1 की रोही राजपुरा पिपेरन की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 68 / 35 के 12.929 हैक. मे 1.480 हैक व प्रार्थी न 2 की माता के नाम 3.985 हैक. के 1 / 6 हिस्सा रकबा खातेदारी को व अप्रार्थी न 1 के नाम के रोही राजपुरा पीपेरन के खसरा न खसरा नं. 345, 347 383, 384, 385 के रकबा पर प्रार्थिया न 1 के ससुर के जीवन काल से कब्जा काश्त है,परन्तु अप्रार्थी ने मिथ्या तथ्य पेश कर व सही तथ्य छिपाकर उक्त रकबा टी.सी.व खातेदारी करवा लिया है इसलिये प्रार्थीगण स्वय हितबद्व व राज्य हित मे शिकायत पेश कर रहे है।

1. यह है कि अप्रार्थी नं. 1 के नाम से वाके रोही राजपुरा पिपेरन की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 1 के खसरा नं. 345 में 1.632 हैक. बारानी व खसरा नं. 347 में 0.291 हैक. बारानी व खसरा नं. 382 / 1 में 0.240 हैक. बारानी व खसरा नं. 383 में 0.683 हैक. बारानी व खसरा नं. 384 में 0.696 हैक. बारानी व खसरा नं. 385 / 1 में 2.783 हैक. बारानी इस प्रकार कुल 6.325 हैक. बारानी खातेदारी भूमि जो अप्रार्थी नं. 1 ने मिथ्या (झूठे) तथ्य पेश करके एवं सही तथ्य छिपा करके पहले अपने आप को तथाकथित तरीके से टी.सी. करवाया तत्पश्चात् तहसीलदार सूरतगढ़ व राजस्व कर्मचारी पटवारी हल्का से सांठ गांठ करके अपने नाम से खातेदारी अधिकार जारी करवाये व इन खातेदारी सनद की आड़ में पटवारी हल्का से बिना खातेदारी ही दुसरे खसरो का इन्तकाल अपने नाम से दर्ज करवाकर के बिना कब्जे ही राजस्व रिकॉर्ड में शिकायत में वर्णित रकबा अ[illegible] लिया है। अप्रार्थी नं. 1 के नाम का टी. सी. आंवटन सम्वत् 2042 का व खातेदारी अधि[illegible] जा[illegible]वली नं. 64 / 20165 बअनवान रणजीत बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.06.2016 [illegible] करवाये है, जो निम्न कारणो से निरस्ती योग्य है।

(1) अप्रार्थी नं. 1 को रोही राजपुरा पिपेरन के खसरा नं. 345 में 6.09 बीघा बारानी व [illegible]. 347 में 1.03 बीघा बारानी व खसरा नं. 382 में 0.19 बीघा बार[illegible] व खसरा नं. 383 में 2.14 बी[illegible] बारानी व खसरा नं. 384 में 2.15 बीघा बारानी व खसरा नं. 385 में 11.00 बीघा बारानी इस प्रकार कुल 25.00 बीघा रकबा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2039 ता 42 में अप्रार्थी नं. 1 का नाम बिना आदेश दिनांक अंकित किये टी.सी. पर आंवटन 2042 में फरमाया गया दर्ज किया है जबकि सम्वत् 2042 में अप्रार्थी नं. 1 की उम्र महज 16

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला—श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:41:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वर्श थी। अप्रार्थी नं. 1 नाबालिक था व आंवटन का भी पात्र नही था। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2039 ता 42 की प्रमाणित प्रति व वोटर लिस्ट सन् 2008, 2013, 2018 की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। जिससे यह साबित है कि अप्रार्थी ओ.सी. आंवटन के समय महज 16 वर्श से कम उम्र का था एवं नाबालिग को टी. सी. आंवटन नही किया जा सकता। उपरोक्त रकबा रोही राजपुरा पिपेरन के खसरा नं. 385 में 22.08 बीघा रकबा ही था तथा उक्त खसरा नं. का रकबा श्रीमान् भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त राजस्थान नहर योजना सूरतगढ ने दिनांक 18.12.1965 को पुरा का पुरा रकबा ही अवाप्त कर लिया था तथा इस सरकारी भूमि की मुआवजा दर्ज 29/–रुपये प्रतिबीघा के हिसाब से श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के नाम जारी कर दी थी। जिसके फैसला की प्रति संलग्न शिकायत है। परन्तु अप्रार्थी नं. 2 की उदासीनता व लापरवाही की वजह से यह रकबा राजस्व रिकॉर्ड में घग्घर बाढ़ नियन्त्रण के नाम दर्ज नही हुआ एवं इस बात का नाजायज फायदा अप्रार्थी नं. 1 ने उठाया व उसने यह रकबा पहले मात्र एक बार सम्वत् 2042 में अपने नाम टी.सी. आंवटन दर्ज करवाया तत्प चात् यह भूमि अवाप्ति सम्बन्धित तमाम तथ्य छिपाकर के इस रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये है। जो कतई रखने योग्य नही है। यह पूर्णतया मिथ्या तथ्यो के आधार पर एवं सही तथ्य छिपाकर के रकबा हड़पने की कोशिश है। इसलिए भी उक्त रकबा का टी.सी. आंवटन एवं खातेदारी खारिज योग्य है। जैर प्रकरण अप्रार्थी नं. 1 के नाम के अन्य खसरो का रकबा भी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त ने अवाप्ति कर लिया था। जिसमें भूमि अवाप्ति की धारा 4 की अधिसुचना की प्रति से साबित हो रहा है कि उक्त खसरे भी जीएफसी में अवाप्त हो गये थे। इस रकबा के गजट नोटिफिके न राजस्थान सरकार सिंचाई विभाग जयपुर अप्रेल 5, 1967 की धारा 4 की जारी अधिसुचना की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है अवाप्त शुदा रकबा के खातेदारी अधिकार जारी ही नही हो सकते। इसलिए भी अप्रार्थी नं. 1 को आंवटन एवं खातेदारी भी निरस्ती योग्य है।

जैर प्रकरण रकबा कभी भी ना तो अप्रार्थी नं. 1 को कभी विधी सम्मत् आंवटन रहा। राज. उपनिवेशन (अस्थाई कृशि पट्टा) शर्त 1955 के नियम 6 में अंकित पट्टे की प्रक्रिया के अनुसार उपनियम 4 के अनुसार **''इन शर्तो के अधीन भूमि आंवटन के लिये आवेदक की पात्रता का विनिश्चय करने के लिये तहसीलदार सलाहकार समिति की सहायता लेगा''** इस प्रकार तहसीलदार सलाहकार समिति की राय से आंवटी की पहले पात्रता तय करेगा तहसीलदार अकेले को पात्रता या आंवटन का अधिकार नही है तथा इस प्रकरण में वर्णित रकबा तो अप्रार्थी नं. 1 को आंवटन भी विधी सम्मत् तरीके से नही हुआ। अप्रार्थी नं. 1 आंवटन का पात्र भी नही था। सम्वत् 2042 में अप्रार्थी नं. 1 की उम्र महज 16 वर्ष थी। इसके अलावा कमेटी से राय भी आंवटन अधिकारी ने या उपनिवेशन तहसीलदार ने ली व ना ही पत्रावली तलब की गई। बिना पत्रावली के ही व काश्तकारी पेशा की जांच किये बिना ही यह आंवटन कर दिया है। इसलिए भी टी.सी. आंवटन व खातेदारी अधिकार खारिज योग्य है। टी.सी. आंवटन मिथ्या तथ्यो के आधार पर घग्घर बाढ़ नियन्त्रण का रकबा अपने नाम अप्रार्थी नं. 1 ने खसरा गिरदावरी सम्वत् 2042 के अनुसार करवाया है। यह आंवटन केवल 1 वर्श के लिये ही किया गया था। सम्वत् 2042 की जमाबन्दी में उक्त रकबा आराजी राज ही दर्ज है। कभी भी अप्रार्थी नं. 1 के नाम किसी भी जमाबन्दी में टी.सी. आंवटन दर्ज नही रहा है। इसलिए बिना नवीनीकरण आगामी वर्शो में टी.सी. नवीनीरकरण ना होने से इस रकबा के खातेदारी अधिकार निरस्ती योग्य है। टी.सी. आंवटन का मकसद एक काश्तकारी पेशे वाले कृशक को जीविका के साधन के रुप में अस्थाई पट्टा दिया जाता है। उसके एवज में टी.सी. आंवटी से एक रुपया प्रतिबीघा प्रतिवर्ष मालकाना वसूल किया जाने का प्रावधान है। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने कभी भी टी.सी. पट्टा के संदर्भ में कोई भी रकम, मालकान जमा नही करवाया है। इसलिए टी.सी. आंवटन खारिज योग्य है। कानूनी नजीर आर.बी.जे. 1999 पेज नं. 214 के अनुसार Temporary allotment of land for cultivtion creats no right in favour of the person to whom land was termporarily allotted. इसके अलावा अप्रार्थी नं. 1 का कभी टी.सी. आंवटन या नवीनीकरण के लिये कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नही किया व टी.सी. आंवटन की शर्तो का [illegible] नही किया है। आर.आर.डी. 1992 पेज नं. 431 के अनुसार । lease tor temporary [illegible] automaticll terminates at the end of the lease periodan [illegible] claim renewal thereof as s matter of right he should apply for a fr[illegible] allotment for himself on merits. आर. आर.टी. 2018 पेज नं. 364 के अनुसार । lease for temporary cultivation come to an end automatically on expiry of the term of lease. आर.आर.डी. 1995 पेज नं. 431 के अनुसार टी. सी. अवधि के समाप्ति के पश्चात् स्वत ही टी.सी. आंवटन निरस्त हो जाता है। इसलिए अप्रार्थी नं. 1 के नाम का टी.सी. आंवटन निरस्त योग्य है। अप्रार्थी नं. 1 के नाम से खातेदारी अधिकार खसरा नं. 282 में 0.19 बीघा व खसरा नं. 283 में 2.14 बीघा व खसरा नं. 384 में 2.15 बीघा व खसरा नं. 285 में 11.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:41:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

बीघा व खसरा नं. 345 में 6.09 बीघा व खसरा नं. 347 में 1.03 बीघा कुल 25.00 बीघा बारानी रकबा के खातेदारी अधिकार जारी हुये है परन्तु अप्रार्थी नं. 1 ने पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का से सांठ गांठ करके इन्तकाल नं. 413 में खसरा नं. 282 के स्थान 382 का रकबा व 283 के स्थान पर 383 का रकबा व खसरा नं. 285 के स्थान पर 385 का रकबा अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा लिया है। जबकि खसरा नं. 382, 383, 385 के खातेदारी अधिकारी जारी ही नही हुये थे। महज पटवारी हल्का से सांठ गांठ करके ही यह रकबा अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा लिया है। इसलिए भी अप्रार्थी नं. 1 टी.सी. आंवटन व खातेदारी खारिज योग्य है। जैर प्रकरण रकबा पर अप्रार्थी नं. 1 का कतई कब्जा नही है। अप्रार्थी न 1 ने उक्त खसरा नम्बरान का कभी कब्जा ही नही लिया आज तक कभी अप्रार्थी न 1 ने कभी का त नही की । उक्त तमाम खसरा नम्बरान के रकबा पर प्रार्थीयान व प्रार्थीयान न 1 की पुत्रियान का ही लगातार कब्जा काश्त है व प्रार्थीयान की रोही राजपुरा पीपेरन के खसरा न 385 मे रिहायसी ढाणी पिछले 45–50 साल से बनी हुई तथा इस खसरा मे टयुबवैल लगाया हुआ इस रकबा का प्रार्थी न 2 के पिता के साथ अप्रार्थी न 1 का निश्पादित इकरारनामा दिनांक 21.07.2016 की फोटो प्रति से यह साबित है कि इन रकबा में से खसरा नं. 384 के 2.15 बीघा रकबा पर तो प्रार्थीयान न 1 का दुसरा टयूबवैल लगाया हुआ है जिन पर विधुत कनैक्शन प्रार्थीयान न 1 के नाम से लिया हुआ है इस प्रकार उक्त तमाम रकबा के अप्रार्थी नं. 1 ने बिना कब्जे ही खातेदारी अधिकार जारी करवाये है, तथा उक्त रकबा आराजी राज दर्ज हो जाता है तो प्रार्थीगण इस रकबा को डी.एल.सी.रेट पर नियमन करवाने मे तैयार है, इसलिए भी उक्त टी.सी.आंवटन व खातेदारी अधिकार खारिज योग्य है।

गुणावगुण के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उक्त अनवानी शिकायत प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी न 1 ने रोही राजपुरा पिपेरन की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 1 के खसरा नं. 345 में 1.632 हैक. बारानी व खसरा नं. 347 में 0.291 हैक. बारानी व खसरा नं. 382/1 में 0.240 हैक. बारानी व खसरा नं. 383 में 0.683 हैक. बारानी व खसरा नं. 384 में 0.696 हैक. बारानी व खसरा नं. 385/1 में 2.783 हैक. बारानी इस प्रकार कुल 6.325 हैक. बारानी खातेदारी भूमि दर्ज करवा रखा है जो अप्रार्थी नं. 1 ने मिथ्या (झूठे) तथ्य पेश करके एवं सही तथ्य छिपा करके पहले अपने आप को तथाकथित तरीके से टी.सी. ऑवटन करवाया तत्पश्चात् तहसीलदार सूरतगढ व राजस्व कर्मचारी पटवारी हल्का से सांठ गांठ करके अपने नाम से खातेदारी अधिकार जारी करवाये व इन खातेदारी सनद की आड़ में पटवारी हल्का से दुसरे खसरो का इन्तकाल अपने नाम से दर्ज करवाकर के बिना कब्जे ही राजस्व रिकॉर्ड में शिकायत में वर्णित रकबा अपने नाम खातेदारी रिकार्ड दर्ज करवा लिया है। जबकि खसरा न 382 व 383 व 385 के खातेदारी अधिकार आज तक जारी नही हूऐ । पत्रावली में खसरा न 282 व 283, 285 के खातेदारी जारी हूऐ है परन्तु अप्रार्थी ने रिकार्ड मे 382, 383, 385 का रकबा अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा रखा है, जबकि उक्त रकबा के कभी भी खातेदारी अधिकार ही जारी नही हूई थे इसलिये भी अप्रार्थी का रकबा खारीज होने योग्य है । अप्रार्थी नं. 1 को रोही राजपुरा पिपेरन मे कुल 25.00 बीघा रकबा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2039 ता 42 में अप्रार्थी नं. 1 का नाम बिना आदेश दिनांक अंकित किये टी.सी. पर आंवटन 2042 में फरमाया गया दर्ज किया है जबकि सम्वत् 2042 में अप्रार्थी नं. 1 की उम्र महज 16 वर्ष थी। अप्रार्थी नं. 1 नाबालिक था व आंवटन का भी पात्र नही था तथा टीसी ऑवटन से पहले का तकार की पात्रता निर्धारण करना आवश्यक है । राज. उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) भार्त 1955 के नियम 6 में अंकित पट्टे की प्रक्रिया के अनुसार उपनियम 4 के अनुसार **''इन शर्तो के अधीन भूमि आंवटन के लिये आवेदक की पात्रता का विनिश्चय करने के लिये तहसीलदार सलाहकार समिति की सहायता लेगा''** इस प्रकार तहसीलदार सलाहकार समिति की राय से आंवटी की पहले पात्रता तय करेगा तहसीलदार अकेले को पात्रता या आवंटन का अधिकार नही है तथा इस प्रकरण में वर्णित रकबा तो अप्रार्थी नं. 1 को आंवटन भी विधी सम्मत् तरीके से नही हुआ। अप्रार्थी नं. 1 आंवटन का पात्र भी नही था। सम्वत् 2042 में अप्रार्थी नं. 1 की उम्र महज 16 वर्ष थी [illegible] आंवटन अधिकारी ने या उपनिवेशन तहसीलदार ने ली व ना ही पत्रावली तलब की गई [illegible] ली के ही व काश्तकारी पेशा की जांच किये बिना ही यह आंवटन कर [illegible] गिरदावरी सम्वत् 2039 ता 42 की प्रमाणित प्रति व वोटर लिस्ट सन 2008, 2013, 2018 की [illegible] संलग्न प्रार्थना पत्र है। जिससे यह साबित है कि अप्रार्थी ओ.सी. आंवटन के समय महज 16 वर्ष से कम उम्र का था एवं नाबालिग को टी.सी. आंवटन नही किया जा सकता। उपरोक्त रकबा रोही र[illegible]रा पिपेरन के खसरा नं. 385 में 22.08 बीघा रकबा ही था तथा उक्त खसरा नं. का रकबा श्रीमान् भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं सहायक उपनिवे [illegible]न आयुक्त राजस्थान नहर योजना सूरतगढ़ ने दिनांक 18.12.1965 को पुरा का पुरा रकबा ही अवाप्त कर लिया था तथा इस सरकारी भूमि की मुआवजा दर्ज 29/–रुपये प्रतिबीघा के हिसाब से श्रीमान् जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:41:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

कलेक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के नाम जारी कर दी थी। जिसके फैसला की प्रति संलग्न शिकायत है। परन्तु अप्रार्थी नं. 2 की उदासीनता व लापरवाही की वजह से यह रकबा राजस्व रिकॉर्ड में घग्घर बाढ़ नियन्त्रण के नाम दर्ज नही हुआ एवं इस बात का नाजायज फायदा अप्रार्थी नं. 1 ने उठाया व उसने यह रकबा पहले मात्र एक बार सम्वत् 2042 में अपने नाम टी.सी. आंवटन दर्ज करवाया तत्प चात् यह भूमि अवाप्ति सम्बन्धित तमाम तथ्य छिपाकर के इस रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये है। मातहत न्यायालय से इस तथ्य को छिपाया है इसलिये भी अप्रार्थी का टी सी खातेदारी निरस्ती योग्य है।' जैर प्रकरण अप्रार्थी नं. 1 के नाम के अन्य खसरा न 345 व खसरा न 382, 384 का रकबा भी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं सहायक उपनिवे न आयुक्त ने अवाप्ति कर लिया था। जिसमें भूमि अवाप्ति की धारा 4 की अधिसुचना की प्रति से साबित हो रहा है कि उक्त खसरे भी जीएफसी में अवाप्त हो गये थे। इस रकबा के गजट नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार सिंचाई विभाग जयपुर अप्रेल 5, 1967 की जारी अधिसुचना की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है, अवाप्त भुदा रकबा के खातेदारी अधिकार धारा 16 आर.टी.ए में जारी ही नही हो सकते। इसलिए भी अप्रार्थी नं. 1 को आवंटन एवं खातेदारी निरस्ती योग्य है। जैर टी.सी. आंवटन मिथ्या तथ्यो के आधार पर घग्घर बाढ़ नियन्त्रण का रकबा अपने नाम अप्रार्थी नं. 1 ने खसरा गिरदावरी सम्वत् 2042 के अनुसार करवाया है। यह आंवटन केवल 1 वर्ष के लिये ही किया गया था। सम्वत् 2042 की जमाबन्दी में उक्त रकबा आराजी राज ही दर्ज है। कभी भी अप्रार्थी नं. 1 के नाम किसी भी जमाबन्दी में टी.सी. आंवटन दर्ज नही रहा है व ना ही नवीनीकरण आगामी वर्शो के लिये हूआ परन्तु अप्रार्थी ने बिना नवीनीकरण ही सही तथ्य छिपाकर सरकार के साथ धोखा करके खातेदारी अधिकार प्राप्त की तथा रकबा के उपनिवे न मे रहते कभी पुख्ता ऑवटन के लिये आवेदन भी नही किया इसलिये भी ऑवटन /खातेदारी मिथ्या तथ्यो पर जारी है जो निरस्ती योग्य है। टी.सी. आंवटन का मकसद एक काश्तकारी पेशे वाले कृशक को जीविका के साधन के रुप में अस्थाई पट्टा दिया जाता है। उसके एवज में टी.सी. आंवटी से एक रुपया प्रतिबीघा प्रतिवर्श लीज राशी /रकम वसूल किया जाने का प्रावधान है। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने कभी भी टी.सी. पट्टा के संदर्भ में कोई भी रकम, मालकाना जमा करवाया, इसलिए भी रकबा खारिज योग्य है। कानूनी नजीर आर.बी.जे. 1999 पेज नं. 214 के अनुसार Temporary allotment of land for cultivtion creats no right in favour of the person to whom land was termporarily allotted. इसके अलावा अप्रार्थी नं. 1 ने कभी पुख्ता ऑवटन के लिये कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नही किया व ना ही टी.सी. आंवटन की भार्तो की पालना की है। आर. आर.डी. 1992 पेज नं. 431 के अनुसार । lease tor temporary cultivation automaticll terminates at the end of the lease periodan heir to a deceased allottee can not claim renewal thereof as s matter of right he should apply for a fresh allotment for himself on merits. आर.आर.टी. 2018 पेज नं. 364 के अनुसार A lease for temporary cultivation come to an end automatically on expiry of the term of lease.

आर.आर.डी. 1992 पेज नं. 431 के अनुसार टी.सी. अवधि के समाप्ति यानी एक वर्ष के पश्चात् स्वत ही टी.सी. आंवटन निरस्त हो जाता है। इसलिए अप्रार्थी नं. 1 के नाम का टी.सी. आंवटन निरस्त योग्य है।आरबीजे 2007 पेज 492 – **Rule 14(4) Cancellation of allotment** – When allotment of land was obtained fraud, , misrepresentation and concealment of facts can be cancelled at any time if khateari rights have been obtained. आरआरडी 2002 पेज 1 – **Rajasthan Land Revenue (Allotment of land for Agriculture Purposes) Rules, 1970, Rule 14(4) Cancellation of allotment** – Allotment obtained by petionar – appellant by misrepresenting the fact that she was landless person whereas 43 bighas 5 biswas land already existing in fevour of her husband – Petitionar acquired khatedari rights after 10 years – allotment canceled by collector after 30 years – Validity of – Held allotment order being bad in eye of law being obtained by misrepres[illegible]n be said to be ineffective – conferment of khatedari right is [illegible] sufficient to save such maintained – Long lapse of time cannot [illegible] considered sufficient to save such allotment order obtained by misrepresentation – Order of Collector not liable to be interfered with आरएलडब्ल्यू 2009(1) [illegible] 87 – **Rajasthan Land Revenue (Allotment of land for Agriculture Purposes) Rules, 1957 & 1970, Rule 14(4) Cancellation of allotment** – Afforded opportunity of hearing – Meaning and

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:41:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

scope of landless *Bona fide* farmer – Land was allotted to a retired Govt. servant, a persion holder by sarpanch who was his nephew – Bery Enquiry Commisionar held by illegal and misuse of the office and power of Sarpanch – Addl. Collector cancelled the allotment – Held - He was not entitled for allotment as he was not a landless *Bona fide* farmer – Allotment can be cencelled even after accrual of khatedari rights – Cancelled the allotment and recorded the land again as Govt. land. जैर प्रकरण रकबा पर अप्रार्थी नं. 1 का कतई कब्जा नही है। उक्त तमाम खसरा नम्बरान के रकबा पर प्रार्थीयान व प्रार्थीयान न 1 की पुत्रियान का ही लगातार कब्जा का त है व प्रार्थीयान की रोही राजपुरा पीपेरन के खसरा न 385 मे रिहायसी ढाणी पिछले 45–50 साल से बनी हुई तथा इस खसरा मे टयुबवैल लगाया हुआ इस रकबा का प्रार्थी न 2 के पिता के साथ अप्रार्थी न 1 का निश्पादित इकरारनामा दिनांक 21.07.2016 की फोटो प्रति से यह साबित है कि इन रकबा में से खसरा नं. 384 के 2.15 बीघा रकबा पर तो प्रार्थीयान न 1 का दुसरा टयूबवैल लगाया हुआ है जिन पर विधुत कनैक न प्रार्थीयान न 1 के नाम से लिया हुआ है इस प्रकार उक्त तमाम रकबा के अप्रार्थी नं. 1 ने बिना कब्जे ही खातेदारी अधिकार जारी करवाये है, तथा उक्त रकबा आराजी राज दर्ज हो जाता है तो प्रार्थीगण इस रकबा को डी.एल.सी.रेट पर नियमन करवाने मे तैयार है, इसलिए भी उक्त टी.सी.आंवटन व खातेदारी अधिकार खारिज योग्य है। अप्रार्थी नं. 2 ने अपने नाम से भूमि अवाप्त होने के पश्चात् भी नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही नही करवाई है। सम्वत् 2042 में उक्त रकबा आराजीराज दर्ज चला आ रहा था। बाद की तमाम गिरदावरीयों में यह रकबा आराजी राज ही दर्ज चला आ रहा है। अब इस रकबा पर अप्रार्थी नं. 1 ने अप्रार्थी नं. 3 से गैर कानूनी तरीके से बिना कब्जे व खसरा न 382,383,385 के रकबा के बिना खातेदारी अधिकार जारी किये बैंक के साथ भी धोखा करके ऋण ले लिया है। यह राशि भी अप्रार्थी नं. 1 से तुरन्त जमा करवाई जाकर मुकदमा दर्ज किया जाने योग्य है । अप्रार्थी नं. 1 का मौका पर कब्जा नही है तथा अप्रार्थी नं. 1 के नाम के रकबा में से कदीमी रास्ता अर्सा दराज से चलता आ रहा है तथा अप्रार्थी नं. 1 अब जैर प्रकरण रकबा का कब्जा प्राप्त करने की कोि ा कर रहा है तथा चालू रास्ते को बन्द करने पर उतारु है। इसलिए भी अप्रार्थी के खिलाफ मौका यथास्थिति का स्थगन जारी किया जाना अनिवार्य है। तहसीलदार सूरतगढ ने जानबूझ कर खसरा न 282, 283, 285 के खातेदारी जारी किये जबकि उक्त रकबा अप्रार्थी को टीसी ऑवटन ही नही है व खसरा न 382,383,385 जो कि घग्घर मे अवाप्त भुदा होने से खातेदारी नही हो सकते इसलिये इन राजस्व कर्मियो/तत्कालिन तहसीलदार ने खसरा न बदलकर खातेदारी जारी की है व खातेदारी से भिन्न खसरा का इन्तकाल पटवारी /गिरदावर व तहसीलदार ने अप्रार्थी के नाम से स्वीकार कर दिया । इसलिये तत्कालिन पटवारी पटवारी /गिरदावर व तहसीलदार साहब के खिलाफ सरकारी रकबा जानबूझकर खुर्द/बुर्द कर अप्रार्थी न 1 को नाजायज लाभ पहुचाने का फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया जावे। उक्त रकबा 25.01.2008 से पहले हमे ा उपनिवे ान मे रहा था व इ गा न परियोजना ऑवटन नियम 1975 के नियम 13 (9) के अनुसार यदि कोई अस्थायी का तकार इन नियमो के अधीन भूमि के ऑवटन के लिये आवेदन करने मे विफल रहता है अथवा किसी भूमि या उसके भाग के ऑवटन के लिये उसका आवेदन ऑवटन प्राधिकारी द्वारा नामंजुर कर दिया जाता है तो ऐसी भूमि या उसके भाग के सम्बन्ध मे उसका अस्थायी का त पटटा ऐसी तारीख की समाप्ति पर जिस तक ऑवटन के लिये आवेदन किया जा सकता था या उस तारीख पर जिस पर ऐसे ऑवटन के लिये उसका आवेदन ना मंजूर किया गया है जैसी भी स्थिती हो पर्यावसित हो जायेगा और ऐसे पटटे के अर्तगत आने वाली सरकारी भूमि सभी विलगमो से मुक्त होकर सरकार को वापीस हो जावेगी और वह तत्समय पृवृत विधी के अनुसार ऐसी भूमि से बेदखल किये जाने के दायी होगा ।

अतः निवेदन है कि रोही राजपुरा पिपेरन के जैर शिकायत रकबा का अप्रार्थी नं. 1 के नाम का टी. सी. आंवटन व अप्रार्थी नं. 1 के नाम से जारी खातेदारी अधिकार को निरस्त किया जाकर रिकार्ड मे रकबा आराजीराज दर्ज किया जावे व खसरा नं. 382, 383, 385 का रकबा घग्घर बाढ नियन्त्रण के नाम या आराजी राज दर्ज किया जावे तथा दोषी कर्मियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जावे।

वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर किया कि अप्रार्थी रणजीत को रोही राजपुरा पिपेरन के ख0न0 345 में 1.332 है0, 347 में ... है0, 382/1 में 0.240 है0, 383 में 0.683 है0, 384 में 0.696 है0, 385/1 में 2.783 है0 कुल 6.525 है0 भूमि आराजीकाश्त आंवटन रकबा राज की भूमि का सम्वत् 2042 में हुआ एवं इसी भूमि का ... विशन मुक्त होने पर दिनांक 02.06.2016 को अप्रार्थी रणजीत को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। उक्त रकबा पर अप्रार्थी आंवटन के दिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:41:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

से ही काबिज रहकर काश्त कर रहा हैं तथा फसल उठाकर अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हैं। आंवटन पट्टा की नकल संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली हैं। वरवक्त आंवटन अप्रार्थी नं0 1 नाबालिग होने का तथ्य कतई गलत दर्ज करवाया गया हैं। मतदाता सूचि दस्तावेजी साक्ष्य नही हैं। द्वितिय यह कि आंवटन के समय अनुमानित आयु लिखाई जाती हैं एवं आंवटन के दशको बाद यह बिन्दू प्रश्नगत किया जाना उचित नही हैं। अप्रार्थी नं0 1 के आंवटन का नवीनीकरण समय–2 पर होता रहा हैं। आंवटित भूमि पर दशको से अप्रार्थी नं0 1 के कब्जा काश्त में हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का एक न्याय निर्णय हैं कि दशको बाद आंवटी के नाबालिग होने के आधार पर आंवटन तकनिकी आधार पर निरस्त किया जाना उचित नही हैं। यह travesty of justice न्याय का उपहास करना होगा। यह बिन्दू नियम 14 (4) के विचारण क्षैत्र के बाहर का हैं। RRT 2014 (1) page 394- राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान कॉलोनी क्षैत्र में सरकारी भूमि का विकय एवं आंवटन) नियम 1975–आंवटन इस आधार पर निरस्त किया कि अस्थाई काश्त आंवटन के समय रेस्पोडेन्ट नाबालिग था–स्थाई आंवटन वर्ष 1997 में किया और अस्थाई आंवटन से 4 वर्ष पूर्व रेस्पोडेन्ट बालिग हुआ–निर्णित, आदेश अपास्त करने में राजस्व अपील प्राधिकारी ने कोई त्रुटि नही की हैं एवं इसके साथ इसमें यह भी उल्लेख किया गया हैं कि वोटरलिस्ट आयु का प्रमाण नही हैं। अप्रार्थी को जैर शिकायत रकबा आंवटन करते समय उक्त रकबा शुद्व आराजीराज था। रकबा आंवटन योग्य था। आंवटन योग्य भूमि होने के कारण ही अप्रार्थी को उक्त रकबा अस्थाई काश्त पर आंवटन हुआ। जैर रकबा कभी भी अवाप्त शुदा नही रहा हैं। यदि रकबा अवाप्त होता तो राजस्व रिकार्ड में रकबा घग्घर के नाम से होता। यदि भूमि अवाप्त थी तो दस्तावेजी रिकार्ड में रकबा राज किस प्रकार से हो सकती थी एवं दस्तावेजी रिकार्ड में रकबा राज होने के आधार पर आंवटन हुआ हैं। जिस पर अप्रार्थी नं0 1 का कब्जा हैं। यह बिन्दू नियम 14 (4) भू0 राज0 अधिनियम की परिसीमा से परे हैं। धारा 4 की अधिसूचना किसी भूमि के लिये जो कि इच्छा मात्र हैं। इसके बाद निश्चित अवधि में धारा 6 एवं 9 की अधिसूचना जारी की जाती हैं। धारा 4 की अधिसूचना के दो वर्ष के मध्य धारा 6 व 9 की अधिसूचना जारी नही होने पर दो वर्ष की अवधि गुजर जाने पर धारा 4 की अधिसूचना स्वतः निरस्त हो जाती हैं। इसी मामले में ऐसा ही हुआ हैं। इसलिये धारा 6 व 9 की अधिसूचना जारी नही होने से भूमि रकबा राज ही रही। अतः शिकायत कर्ता का यह आरोप की रकबा अवाप्त शुदा था मिथ्या होने के कारण क़ाबिल खारीजी हैं। भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 11 ए–**period within which an award shall be made- The Collector make an award under section 11 within a period of two years from the date of the publication of the declaration and if no award is amde within this period, the entire proceeding for the acqusition of the land shall lapes.** टी.सी आंवटन का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का दायित्व राजस्व विभाग का हैं। अप्रार्थी नं0 1 को सन्देह से परे टी.सी आवंटी कब्जाधारी मानकर खातेदारी दी गई हैं। जो कि सही हैं। अप्रार्थी नं0 1 द्वारा आंवटन की शर्तो की पालना वर्षो से की हैं। अप्रार्थी नं0 1 का आंवटन का नवीनीकरण प्रतिवर्ष [illegible] एवं मालकान भी समय–2 पर जमा करवाया गया हैं। जिसकी ढालबाछ व रसीद अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न हैं। अतः अप्रार्थी नं0 1 के आंवटन की जांच [illegible] शिकायतकर्ता का यह आरोप की अप्रार्थी को गलत खसरो की खातेदारी दी गई हैं। प[illegible]योग्य नही हैं। अप्रार्थी को रोही राजपुरा पिपेरन के ख0न0 345 में 1.632 है0, 347 में 0.291 है0, 382/1 में 0.240 है0, 383 में 0.683 है0, 384 में 0.696 है0, 385/1 में 2.783 है0 कुल 6.325 है0 भूमि अस्थाई काश्त पर आंवटन हुई। इन्ही खसरो

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:41:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

की खातेदारी हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। वरवक्त खातेदारी पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी नं0 1 को उसके आंवटन एवं लगातार कब्जा अनुसार खातेदारी देने की अनुशषा की गई हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिपकीय त्रुटि के कारण गलत खसरा नम्बर का अंकन खातेदारी सनद में किया गया हैं। जो कि दुरूस्ती का मामला हैं। नियम 14 (4) भू0 राज0 अधि0 के तहत प्रकरण नही बनता हैं। अप्रार्थी नं0 1 द्वारा खातेदारी सनद में दुरूस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन कर रखा हैं। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न हैं। राजस्व कर्मचारियो की गलती की सजा अप्रार्थी को दी जानी न्याय व नियम के खिलाफ हैं। अतः शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य हैं। अप्रार्थी एक खातेदार कृषक हैं। जो कि भूमि सुधार हेतु ऋण लेने के लिये सक्षम हैं। इसी अधिकार के चलते अप्रार्थी द्वारा जैर रकबा बैंक के रहन रखकर ऋण प्राप्त कर रखा हैं। अतः यह रकबा खारीजी का आधार नही हो सकता। शिकायतकर्ता एवं प्रार्थी नं0 1 की खातेदारी भूमि के मध्य एक सार्वजनिक रास्ता हैं जिसे शिकायतकर्ता द्वारा बन्द कर देने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को उक्त रास्ता खोलने के आदेश हुये। शिकायतकर्ता द्वारा उपखण्ड अधिकारी के रास्ता खोलने के आदेश के खिलाफ माननीय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने पर प्रार्थीगण की अपील खारीज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर एवं रंजिशवश उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी नं0 1 के खिलाफ पेश किया गया हैं। जो कि खारीज योग्य हैं। इन नियमो के तहत रकबा गैर खातेदारी होने पर ही शिकायत पेश की जा सकती हैं खातेदारी होने पर एक खातेदार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही उसे बेदखल किया जा सकता हैं। RRD 1986 page 137- Allotment rules 1970 R 14(4)- Not applicable to allottees who cquired khatedari ights-Once allottee gets khatedari rights. he acquires all rights conferred by R.T. act- land, alloted on 29-10-77 to non-applicant No-1 on whom khatedari rights, confered on 23-12-83 by mutation and then he sold land to on-applicant no 2 & 3 on 24-01-84-Application dt 09-08-84 u/r 14(4) rightly dismissed by addl. collceto_holding that rules of 70. not applicable after acquisition of khatedari right. अप्रार्थी नं0 1 को जैर रकबा वर्ष 1986 में आंवटन हुआ एवं वर्ष 2016 में उसे खातेदारी प्रदान की गई। शिकायत कर्ता द्वारा वर्ष 2023 में शिकायत पेश की गई हैं। जो कि आंवटन के 40 साल बाद एवं खातेदारी के 7 साल बाद की गई हैं। जो कि स्वतः निराधार होने के कारण खारीज योग्य हैं। एक बार खातेदारी मिलने के पश्चात 40 साल बाद एक अजनबी व्यक्ति द्वारा शिकायत पेश करने पर आंवटन निरस्त किया जाना प्राकृतिक न्याय एवं समय–समय पर न्यायालयो द्वारा पारीत दृष्टान्तो के खिलाफ हैं। RLW 2016 (1) Rev. page 694- Held-There is no justification for collecto to entertain the application of canellations filed by a stranger after 24 years-order of cancellation of allotment passed by District Collector set aside. शिकायत कर्ता द्वारा अपने पक्ष में न्यायालयो के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये हैं वोह इस प्रकरण में लागू नही होते हैं। यह दृष्टान्त उन्ही प्रकरणो पर लागू होते हैं जिसमें किसी पक्षकार द्वारा छल व कपट कर सरकार को धोखा देकर या भूमि होने के बावजूद भूमि हीन स्वयं को दर्शित कर आंवटन करवाया हो परन्तु शिकायत कर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो तथ्य मुझ अप्रार्थी के खिलाफ दर्ज करवाये है कही भी छल कपट अथवा सरकार को धोखा देने जैसा प्रतित नही होते हैं। अप्रार्थी द्वारा आंवटन के समय ना कोई तथ्य छिपाया एवं ना ही खातेदारी मिलने के पश्चात् कोई मिथ्या कथन किया हैं। अप्रार्थी भूमि ही कृषक था। भूमिहीन होने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:41:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी को रकबा आंवटन हुआ। जो कि वरवक्त आंवटन आराजीराज एवं आंवटन योग्य था। अप्रार्थी को जो रकबा आंवटन हुआ उसी रकबा के खातेदारी अधिकार हेतु आवेदन किया गया मात्र लिपीकिय त्रुट से खसरा नम्बर गलत दर्ज हुये हैं। राजस्व रिकार्ड में भी आंवटन अनुसार खातेदार दर्ज हैं। लिपिकीय त्रुटि खातेदारी निरस्त करने का आधार नही हैं। अतः निवेदन हैं कि उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कानून के विपरीत एवं अप्रार्थी नं0 1 को मिथ्या परेशान करने हेतु पेश किया होने के कारण खारीज फरमाया जावें एवं बतौर हर्जाना अप्रार्थी नं0 1 को दिलवाया जावें ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया हस्तगत पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 01 को खातेदारी वर्ष 1986 से काश्त हेतु आवंटित थी। पूर्ण जांच करने के पश्चात ही दिनांक 2.6.2016 को नियमानुसार खातेदारी जारी कि गई थी। अप्रार्थी संख्या 01 खातेदार कृषक है खातेदारी के सम्बंध में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हैं, आवंटन के 37 साल बाद शिकायत करना झूठा प्रतीत होता है। आवंटी के विरूद्ध खसरा परिवर्तन के तथ्य बताए गए है जो नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 से शासित नहीं होते है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/24

(कन्हैयालाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:41:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner